संख्या-2/2018-536/चौदह-4-2018-16(बजट)/2017

प्रेषक

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग- 4 **लखनऊ, दिनांक, 27 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष-2017-18 में गौरा हरदों आजमगढ में वन विहार पार्क का विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 100.93 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-1026/36-बी-8(लोहिया ईको पार्क)/ 2017-18 दिनांक 08.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन "गौरा हरदों आजमगढ में वन विहार पार्क का विकास" योजनान्तर्गत व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू0 458.35 लाख की वित्तीय एवं प्रशाकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 100.93 लाख (रू0 एक करोड़ तिरानबे हजार मात्र) निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
01-वानिकी-	
800-अन्य व्यय	
17गौरा हरदों आजमगढ में वन विहार पार्क का विकास	
24-वृहत्त निर्माण कार्य	100.93
योग:-	100.93

(रू0 एक करोड़ तिरानबे हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, उच्च विशिष्टिया इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के जिम्मेदारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 की होगी।

4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगें की प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीक़त नहीं की गयी है।

5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

7- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 द्वारा पी0एफ0ए0डी0 के शर्तो एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

9- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगणन तथा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन कार्य कराये जॉय।

10- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

11- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियों सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/ सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया

13- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

14- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

15- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तभी होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर सक्षम स्तर को प्रेषित कर दिये गये हों।

http://shasanadesh.up.nic.in

16- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य के वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

17- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ईसमय पर निर्गत शासनादेशों का अ-रिंग विषयक समयटेण्ड-नुपालन सुनिश्चत किया जाये एवं क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जीम से किया पोर्टल के माध्य 0एम0ई0 जायेगा।

18- उक्त के अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमोंका अनुपालन भी सुनिश्चित किय निर्देश/ा जायेगा। स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व नियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी।

19- स्वीकृत धनराशि का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, के उक्त पत्र दिनांक 08.03.2018 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जायेगा।

20- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग,उ0प्र0 शासन के अ0शा0प0सं0-352/प्रा0र0मू0प्र0/17 दिनांक 31-1-2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के आलोक में ही किया जायेगा।

20-स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-536(1)/चौदह-4-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वन संरक्षक आजमगढ़ वृत्त आजमगढ़।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-536/चौदह-4-2018-16(बजट)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी,

विशेष् सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, मार्च, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष-2017-18 में 'गौरा हरदों आजमगढ में वन विहार पार्क का विकास'' योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 100.93 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-1026/36-बी-8 (लोहिया ईको पार्क)/2017-18 दिनांक 08.03.2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत 'गौरा हरदों आजमगढ में वन विहार पार्क का विकास'' योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 100.93 लाख (रू0 एक करोड तिरानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	**धनराशि (रू0 लाख में)**
अनुदान संख्या-60	
पूंजी लेखा	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय -	
01-वानिकी-	
800-अन्य व्यय -	
17-गौरा हरदों आजमगढ में वन विहार पार्क का विकास -	
24-वृहत निर्माण कार्य	100.93
योग	**100.93**

(रू0 एक करोड तिरानबे हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतय के संबंध जिस व्य : र्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमानपुस्तिका के अन्तय हस्तमें वित्ती आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमतिसहमति लिया जाना अपेक्षित / हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतर परचेज एवं औ का क्रय स्टो किया जाय। वस्तुप्राप्त : यिता केय करते समय मितव्यय नियमों के अधीन किया जाय। व्यवित्तीसंबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं-0सी/1132 0ए0दस 2004/1-मित-2004-दिनांक -0तथा शासनादेश सं 7.1.2005सी/1191 0ए0दस 2007/1-मित-2009-दिनांक एवं 26.10.2009 समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।-इस संबंध में समय

2- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय समिति द्वारा अनुमोदित आगणन के वित्त-न्धित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त वैधानिक अनुमति सम्बअनुसार कराये जायेगें तथा समस्त खनीय ही निर्मा कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेकरने के उपरान्त नय परिवर्तन जैसे कार्य बढानामाल विशिष्टिया इस्तेउच्च ,क्षेत्रफल में व़द्धि/कार्यो के आकार , किया बिना नहीं किया जायेगा। दन प्राप्त समिति का पूर्व अनुमोय वित्तव्य ,दिकरना इत्या क़ति निर्गत करने के पूर्व समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीइसके अतिरिक्त विस्तत डिजाइनप्रतिशत से अधिक 10 डाइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि/ र माह के अन्द 03 व परपरिवर्तन होता है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ता था बाद में पुनरीक्षित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यअनुमोदन प्राप्त :समिति का पुन प प्रायोजना लागत के्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्षवित र्गत प्रस्ता का होगा तथा योजनान्तकार्यदायी संस्था/ वि को कम नहीं किया जायेगा एवंभौतिक लक्ष्योंत्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

4- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समयर पर अनुपालन सुनिश्चित किया क स्तसमय पर निर्गत आदेशों का प्रत्ये-जाय।

5- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समयसारिणी निश्चित - य की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया क माह की समापित पर व्यकर दी जाय तथा प्रत्ये जाय।

6- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजनासे स्रोत/ धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

7- प्रायोजनागत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावत्ति को रोकने की द़ष्टि से प्रायोजना की (केसीडुप्ली) त किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्यक़ति से पूर्व यह सुनिश्चिस्वी और क़ति हैर्गत न तो स्वीकार्यक्रम के अन्त/योजना न वर्तमान में किसी अन्य योजनावित है।दित किया जाना प्रस्ताकार्यक्रम में आच्छा/ योजनाकार्यक्रम में किसी अन्य/

8- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्षक आवश्यद्वारा नियमानुसार समस्त 0प्र0उ , र स सक्षम स्तवैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

9-

http://shasanadesh.up.nic.in

10- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्षशासन 0प्र0उ ,न नियोजन संस्थाद्वारा राज्य 0प्र0उ , /352-0स0प0शा0द्वारा अप्रानिर्देशों -दिशा/में उल्लिखित शर्तों 31.01.2018 दिनांक 17/0प्र0मू0र0 सुनिश का अनुपालन्चित किया जाये।

11- प्रश्नगत योजनान्तर्गत कार्य की गुणवत्ता दारी प्रधान मुख्ययों की जिम्मेमानक एवं विशिष्ट , की होगी। 0प्र0उ ,क्षवन संरक्षक और विभागाध्य

12-

13- प्रश्नगत वित्तीय स्वीक़ति जिस कार्यमद हेतु की जा रही उसका उपयोग नियमानुसार उसी / मद हेतु/कार्यकिया जायेगा।

14- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्षवित कार्यों यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रस्ता 0प्र0उ , की द्विरावत्ति नहीं हो रही है।

15- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष की शर्तों एवं वित्त 0डी0ए0एफ0द्वारा पी 0प्र0उ , 1-अनुभाग (यकव्य-आय)के कार्यालय 2017 ,अगस्त 03 ज्ञाप दिनांक-में उल्लिखित दिशा-निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- स्वीक़त धनराशि का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पत्र के उक्त ,योजना एवं क़षि वानिकी, य किया जायेगा।में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्य 08.03.2018 दिनांक

17- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीक़त धनराशि को पी/0ए0एल0बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

18- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग समिति द्वारा अनुमोदित आगणन तथा य वित्तव्य/ अ केनिर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धोंधीन कार्य कराये जाय।

19-

20- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीक़तियों सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से यथासहमति नियमानुार /क अनुमतिआवश्य-रम् ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रा करने के उपरान्तप्राप्तभ किया जायेगा।

21- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्तिथ औपचारिकताएंदिवरावृत्ति न हो। समस्त/ा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

22- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ईसमय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन -रिंग विषयक समयटेण्ड-पोर्टल के .एम.ई. कार्य नियमानुसार जीसुनिश्चित किया जायेगा तथा क्रय संबंधी समस्त म से ही किया जाय।माध्य

http://shasanadesh.up.nic.in

23- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समयर पर अनुपालन सुनिश्चित किया क स्तसमय पर निर्गत आदेशों का प्रत्ये- जाय।

24- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

25- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख किये सीमा अवमुक्त- जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

26- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,

27- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ 0प्र0 फरवरी 26 र्भित दिनांक सन्दके उक्त, 2018 में उल्लिखित कार्य मदों में ही किया जाय।

-2यह आदेश वित्त 1-अनुभाग(यकव्य-आय)के कार्यालय ज्ञाप संख्या-दस/1190-1-बी/2017/8-1-अनुभाग(यकव्य-आय) एवं वित्त 03.08.2017 दिनांक ,2017/231-2017के कार्यालय ज्ञाप संख्या- में निह 20.11.2017 दिनांक ,2017/231-2017-दस/1455-1-बी/2017/12ित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। अतअनुपालन किया जाय। :इनका अक्षरश :

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष् सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-536 (1)/चौदह-4-2018 तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय, उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं क़षि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त 3-नियोजन अनुभाग/1-अनुभाग (यकव्य-आय)

7- वित्त 7-अनुभाग (नियंत्रण-यव्य)

8- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in